

डिस्कलेमर

आदेश संख्या 15/2026-27 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों (पृष्ठ 1, 536, 537, 538 और 539) का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद (एचवाईडी) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि
(01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 24 अगस्त, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

16. चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय 2 : नियंत्रण अवधि से पूर्व के अधिकार (पीसीपीई) का टूअप

2.4.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश के अनुरूप इस टैरिफ आदेश की पीसीपीई के लिए **तालिका 11** के अनुसार टूअप को मानना।

अध्याय 3 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टूअप

3.4.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश के अनुरूप **तालिका 11** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टूअप को मानना।

अध्याय 4 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप

4.4.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 11** के अनुसार टूअप को मानना।

4.4.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 11** के अनुसार टैरिफ निर्धारित करने के कार्य के भाग के रूप में द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए ₹441.60 करोड़ की अधिक वसूली को कायम रखना।

अध्याय 5 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप

5.11.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए **तालिका 13** के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर यातायात को मानना।

5.11.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए **तालिका 59** के अनुसार वैमानिक कैपेक्स को मानना।

5.11.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए **तालिका 62** के अनुसार वैमानिक मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानना।

5.11.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए **तालिका 70** के अनुसार डब्ल्यूएसीसी को मानना।

5.11.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए **तालिका 146** के अनुसार वैमानिक प्रचालन और अनुरक्षण खर्च को मानना।

5.11.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए **तालिका 152** के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

5.11.7 तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए **तालिका 156** के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

5.11.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 160** के अनुसार 'शून्य' वैमानिक कर को मानना।

5.11.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि तक **₹714.85** करोड़ की कम वसूली (**तालिका 165** के अनुसार) को मानना।

अध्याय 6 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान।

6.6.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 169** के अनुसार यातायात पूर्वानुमान को मानना।

6.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को टूअप करना।

अध्याय 7 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यहास एवं विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)।

7.11.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 253** के अनुसार वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

- 7.11.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर वैमानिक परिवर्धनों को टू-अप करना।
- 7.11.3 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 254** के अनुसार वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 7.11.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर मूल्यहास को टू-अप करना।
- 7.11.5 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 255** के अनुसार विनियामक परिसंपत्ति आधार को मानना।
- 7.11.6 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 7.3.141 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूँजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूँजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।
- 7.11.7 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।
- 7.11.8 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी की औसत भारित लागत (डब्ल्यूएसीसी)।

- 8.6.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 259** के अनुसार ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत, काल्पनिक ऋण- ईक्विटी अनुपात और डब्ल्यूएसीसी/एफआरओआर को मानना।
- 8.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों (या) भारतीय स्टेट बैंक के औसतन एक (1) वर्ष के एमसीएलआर + 100 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को टू-अप करना।

अध्याय 9: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

- 9.6.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 262** के अनुसार मुद्रा-स्फीति की दरों को मानना।

अध्याय 10: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

- 10.6.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 334** के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 10.6.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्य क्षमता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।

अध्याय 11: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

- 11.6.1 आरजीआईए के लिए **तालिका 341** के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 11.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय **तालिका 341** के अनुसार न्यूनतम सीमा की शर्त पर वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

अध्याय 12: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

- 12.7.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 344** के अनुसार वैमानिक कर को मानना।
- 12.7.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत-तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त ढंग से वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

- 13.6.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण कुल राजस्व अपेक्षा में किसी भी समायोजन को न मानना।
- 13.6.2 जीएचआईएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रियायत करार में निर्धारित कार्य निष्पादन मानकों का पालन किया जाता है और पैरा 13.2.10 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का भी अनुपालन किया जाएगा, जो प्रमुख हवाईअड्डों के लिए लागू कर दिए गए हैं।

अध्याय 14 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

- 14.8.1 जीएचआईएल के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 358** के अनुसार कुल राजस्व अपेक्षा और वाईपीपी को मानना।
- 14.8.2 संबंधित यूजर पे परियोजना के लिए **तालिका 356** और **तालिका 357** के अनुसार बढ़ते हुए एआरआर और वाईपीपी को मानना।
- 14.8.3 पंचम नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को टू-अप करना।

अध्याय 15: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

- 15.5.1 **तालिका 359** के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।
- 15.5.2 **तालिका 360** और **तालिका 361** में दिए गए विवरण के अनुसार यूजर पे सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारित संबंधित परियोजनाओं के संबंध में वृद्धिशील टैरिफ को मानना।
- 15.5.3 प्राधिकरण जीएचआईएल को निदेश देता है कि वह चतुर्थ नियंत्रण अवधि के दौरान प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और वीटीपी के कारण एटीएम और यात्रियों में वृद्धि से एकत्र हुए राजस्व के संबंध में वीटीपी का अलग-अलग वित्त वर्षवार रिकॉर्ड रखे।
- 15.5.4 जीएचआईएल को यह सुनिश्चित करने का निदेश देना कि इकाओं के भेदभाव न करने संबंधी सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।
- 15.5.5 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

17. टैरिफ आदेश

- 17.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर, प्राधिकरण एतद्वारा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ इस टैरिफ आदेश के **अनुलग्नक-I** में बताए अनुसार निर्धारित करता है।
- 17.2 वायुयान अधिनियम 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(बी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा इस टैरिफ आदेश के **अनुलग्नक-I** में दर कार्ड में दर्शाए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 17.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं, इनमें कर (यदि कोई हो) शामिल नहीं हैं।
- 17.4 यह आदेश 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी किया जाएगा।
- 17.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचम नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री कधीर कधीरवण,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
जीएमआर एयरो टॉवर, 4था तल,
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, शम्शाबाद,
हैदराबाद - 500108

प्रतिलिपि;

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय: एआईसी जारी करने के लिए